उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं राज्य के जिला न्यायालयों में ट्रांसलेटर, सहायक ग्रन्थपाल, शीघ्रलेखक ग्रेड-2, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 18.02.2011 **प्रारंभिक परीक्षा दिनांक : 13.03.2011**

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय एवं राज्य के जिला न्यायालयों में ट्रांसलेटर, सहायक ग्रंथपाल, शीघ्रलेखक ग्रेड-2, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) प्रवर्ग के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के **ऑनलाइन आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड 'अ'

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विधि

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउन लोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र विज्ञापन दिनांक से दिनांक 18.02.2011 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

पोर्टल शुल्कः-

3. प्रत्येक आवेदक को 40/- रु. पोर्टल शुल्क देय होगा।

पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
दूरभाष क्र. (0755) 4019400-406, 4019430

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट **https://www.mponline.gov.in** एवं **https://www.mphighcourt.nic.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आवेदन परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता है। एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए **https://www.mponline.gov.in,** पर Authorized Kiosk list Link देखें।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधिः-

आवेदक **https://www.mponline.gov.in** एवं **https://www.mphighcourt.nic.in** वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर **Citizen Services नागरिक सेवाएं** क्लिक करें इसके उपरांत **Application** लिंक पर जाकर बटन को क्लिक करें। अब उसे यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Open Application form
Pay for unpaid Application
Click here to view advertisement

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठै स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले **Click here to view Advertisement** को क्लिक कर दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदन **Click here to Open Application form** को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करे link) दिखाई देगी। hyperlink को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg या gif फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक पोर्टल शुल्क के भुगतान के लिए Proceed to Payment बटन दबाएगा तो उसे पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगे :-

1. क्रेडिट कार्ड।
2. इंटरनेट बैंकिंग।

3. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :- आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटननेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed to Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को पोर्टल शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।

4. इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पोर्टल शुल्क का भुगतान :- आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर पोर्टल शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed to Payment बटन दबाएगा यहाँ पर उसे इंटरनेट बैंकिग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।

5. एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :- आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक **https://www.mponline.gov.in** वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को पोर्टल शुल्क नकद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।

6. आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा पोर्टल शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। पोर्टल शुल्क का प्रत्येक आवेदक को भुगतान करना अनिवार्य है।

9. इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed to Payment बटन दबाकर पोर्टल शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइड्ज रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।

10. आवेदकों से निवेदन है कि ऑनलाइन आवेदन की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।

11. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

नोट- यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।

एमपीऑनलाइन लिमिटेड
निरूपम शापिंग मॉल,
द्वितीय तल, अहमदपुर,
होशंगाबाद रोड, भोपाल - 402026
फोन (0755) 4019400-06, 4019430

खण्ड 'ब'

ट्रांसलेटर, सहायक ग्रन्थपाल, शीघ्रलेखक ग्रेड-2, शीघ्रलेखक ग्रेड-3, सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) सहायक ग्रेड-3 एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) प्रवर्ग के नियमित पदों का विवरण

(I) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

पदनाम एंव वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	अतिरिक्त योग्यता
(1) ट्रांसलेटर 9300-34800+ ग्रेड पे 3200 (उच्च न्यायालय)	07	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. हिन्दी व अंग्रेजी का ज्ञान।	कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान
(2) सहायक ग्रन्थपाल 5200-20200+ ग्रेड पे 2800 (उच्च न्यायालय)	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लायब्रेरी सांइस में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. कम्प्यूटर एप्लीकेशन का ज्ञान। 3. विधि स्नातक को प्राथमिकता।	
(3) सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	01	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.सी.ए./ बी.एससी.(कम्प्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स) परीक्षा उत्तीर्ण। **या** मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर में डिप्लोमा। 2. हार्डवेयर मेन्टेनेन्स का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव।	
(4) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	65	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का ज्ञान 2. डाटा एन्ट्री ऑपरेशन का ज्ञान
(5) शीघ्रलेखक ग्रेड-2 5200-20200+ ग्रेड पे 2800 (जिला न्यायालय)	73	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 100 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान
(6) शीघ्रलेखक ग्रेड-3 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 एवं विशेष वेतन 125/- (जिला न्यायालय)	226	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	अंग्रेजी टायपिंग का ज्ञान
(7) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200 + ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	544	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/ स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर का ज्ञान
(8) सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) 5200 - 20200+ ग्रेड पे 1900 एवं विशेष वेतन 125/- (जिला न्यायालय)	14	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	हिन्दी स्टेनोग्राफी का ज्ञान
कुल पद	**931**		

टीप :- 1. उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय एवं कम्प्यूटर अर्हता मुख्य परीक्षा दिनांक तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

2. अतिरिक्त योग्यता हेतु संबंधित विषय/ज्ञान की परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है।

3. म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11/08/3/एक दिनांक 12.06.2009 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे :-

1. Diploma from all Universites recognized by UGC.
2. Diploma from all open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. Modern Office Management Cources from Govt. Polytechnic College.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो।

(I) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या

क्र.	पद का नाम	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु. जाति		अनु. जनजाति		योग
		सामान्य	विकलांग	सामान्य	विकलांग	सामान्य	विकलांग	सामान्य	विकलांग	
1	ट्रांसलेटर (उच्च न्यायालय)	3	-	1	-	1	-	2	-	7
2	सहायक ग्रन्थपाल (उच्च न्यायालय)	-	-	-	-	1	-	-	-	1
3	सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) (उच्च न्यायालय)	1	-	-	-	-	-	-	-	1
4	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	28	1	7	1	10	1	15	2	65
									कुलयोग	**74**

(ii) अ. शीघ्रलेखक ग्रेड-2 के नियमित पदों की पूर्व प्रचलित आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार बैकलॉग रिक्तियाँ :-

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु. जाति		अनु. जनजाति		योग
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	अलीराजपुर	-	-	-	-	-	-	2	1	3
2	अशोकनगर	1	1	-	-	-	-	-	-	2
3	बड़वानी	-	-	-	-	-	-	2	-	2
4	भिण्ड	-	-	-	-	1	-	-	-	1
5	धार	1	-	-	-	-	-	2	-	3
6	हरदा	1	-	-	-	1	-	-	-	2
7	होशंगाबाद	-	-	-	-	1	-	-	-	1
8	इंदौर	-	-	-	-	1	-	-	-	1
9	सागर	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	योग	**3**	**1**	**-**	**-**	**4**	**-**	**7**	**1**	**16**

(ii) ब. शीघ्रलेखक ग्रेड-2 के नियमित पदों की म.प्र. राजपत्र (असाधारण). दिनांक 21.09.2010 द्वारा प्रभावशील नवीन आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित		अन्य पिछड़ा वर्ग		अनु. जाति		अनु. जनजाति		योग
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
1	अनूपपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
2	बड़वानी	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	बैतूल	1	-	-	-	-	-	1	-	2
4	भोपाल	5	2	1	-	1	-	-	-	9
5	छतरपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	2
6	छिन्दवाड़ा	1	-	-	-	-	-	-	-	1
7	डिण्डौरी	1	-	-	-	-	-	-	-	1
8	दतिया	1	-	-	-	-	-	-	-	1
9	इंदौर	6	3	1	-	2	-	1	-	13
10	जबलपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	2
11	मंदसौर	1	-	-	-	-	-	-	-	1
12	मुरैना	1	-	-	-	-	-	-	-	1
13	रीवा	1	-	-	-	-	-	-	-	1
14	रतलाम	1	-	-	-	-	-	1	-	2
15	रायसेन	2	-	-	-	-	-	-	-	2
16	सागर	2	-	-	-	1	-	-	-	3
17	सतना	2	-	-	-	1	-	-	-	3
18	शहडोल	1	-	-	-	-	-	-	-	1
19	सीधी	1	-	-	-	-	-	1	-	2
20	सिंगरौली- बैढ़न	1	-	-	-	-	-	1	-	2
21	टीकमगढ़	2	1	1	-	1	-	-	-	5
22	उज्जैन	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	योग	**37**	**6**	**3**	**-**	**6**	**-**	**5**	**-**	**57**

(iii) शीघ्रलेखक ग्रेड-3 के नियमित पदों की म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.09.2010 द्वारा प्रभावशील नवीन आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु. जाति			अनु. जनजाति			योग
		सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	
1.	अलीराजपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
2.	अनूपपुर	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6
3.	अशोकनगर	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
4.	बड़वानी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
5	बालाघाट	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5
6	बुरहानपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
7.	छिन्दवाड़ा	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	5
8.	दमोह	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
9.	दतिया	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3
10.	देवास	3	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7
11.	धार	2	1	-	1	-	-	-	-	-	4	1	-	9
12.	डिण्डौरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
13.	गुना	3	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	9
14.	ग्वालियर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
15.	हरदा	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
16.	होशंगाबाद	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17.	इन्दौर	7	3	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	17
18.	जबलपुर	4	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	11
19.	झाबुआ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
20.	कटनी	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4
21.	मण्डला	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
22.	मन्दसौर	2	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
23.	मुरैना	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
24.	नरसिंहपुर	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
25.	पन्ना	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
26.	रायसेन	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6
27.	राजगढ़-ब्यावरा	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
28.	रतलाम	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	5
29.	रीवा	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
30.	सीहोर	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
31.	सिवनी	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
32.	सागर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
33.	शहडोल	3	1	1	2	-	-	1	-	-	4	1	-	13
34.	शाजापुर	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
35.	शिवपुरी	5	2	1	1	-	1	2	1	-	1	-	-	14
36.	श्योपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
37.	सिंगरौली-बैढ़न	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
38	टीकमगढ़	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8
39	उज्जैन	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	7
40	उमरिया	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6
41	विदिशा	4	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8
42	मण्डलेश्वर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
कुलयोग		**98**	**27**	**9**	**23**	**-**	**1**	**24**	**2**	**1**	**38**	**2**	**1**	**226**

(iv) अ. सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित पदों की पूर्व प्रचलित आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार बैकलॉग रिक्तियाँ :-

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु. जाति			अनु. जनजाति			योग
		सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	
1.	अलीराजपुर	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	1	7
2.	अनूपपुर	-	1	1	1	1	-	-	-	-	4	1	1	10
3.	अशोकनगर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
4.	बड़वानी	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
5.	बैतूल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
6.	भिण्ड	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3
7.	भोपाल	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2
8.	बुरहानपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
9.	छतरपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10.	छिन्दवाड़ा	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
11.	दमोह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
12.	देवास	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
13.	धार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3
14	खण्डवा	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
15	ग्वालियर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
16.	हरदा	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5
17.	होशंगाबाद	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
18.	इन्दौर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
19.	जबलपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	4
20.	कटनी	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	4
21.	मण्डला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
22.	मन्दसौर	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	6
23.	मुरैना	3	2	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	9
24.	नरसिंहपुर	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
25.	नीमच	-	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	5
26.	पन्ना	-	-	1	1	-	1	2	1	-	2	1	-	9
27.	रायसेन	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
28.	राजगढ़-ब्यावरा	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
29.	रतलाम	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3
30.	रीवा	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
31.	सागर	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4
32.	सतना	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	5
33.	सीहोर	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
34.	शहडोल	1	1	1	2	-	-	1	-	-	4	2	1	13
35.	शाजापुर	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
36.	शिवपुरी	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
37.	सीधी	-	2	1	-	-	-	-	-	1	3	2	1	10
38.	टीकमगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2
39	उज्जैन	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
40.	उमरिया	-	-	1	-	-	-	-		-	-	1	-	2
कुलयोग		**7**	**11**	**15**	**10**	**2**	**1**	**8**	**4**	**5**	**48**	**18**	**14**	**143**

(iv) ब. सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग के नियमित पदों की म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.09.2010 द्वारा प्रभावशील नवीन आरक्षण रोस्टर के अनुसार जिलेवार रिक्तियाँ :-

क्र.	न्यायिक जिले का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु. जाति			अनु. जनजाति			योग
		सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	सामा.	महिला	विक.	
1.	अलीराजपुर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5
2.	अनूपपुर	2	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	6
3.	अशोकनगर	2	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	5
4.	बड़वानी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
5.	बैतूल	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4
6.	भिण्ड	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	9
9.	छतरपुर	3	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	8
10.	छिन्दवाड़ा	3	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	10
11.	दमोह	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
12.	दतिया	5	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	10
13.	देवास	3	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	6
14.	डिण्डौरी	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4
15	धार	2	1	-	1	-	-	1	-	-	3	2	1	11
16.	गुना	3	2	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-	10
17.	ग्वालियर	5	2	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	12
18.	हरदा	3	1	1	1	-	-	1	-	-	2	1	-	10
19.	होशंगाबाद	3	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7
20.	इन्दौर	9	3	2	2	1	-	2	1	-	1	-	-	21
21.	जबलपुर	5	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	12
22.	झाबुआ	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5

23.	खण्डवा	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4
24.	कटनी	3	2	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	8
26	मण्डलेश्वर	6	2	1	2	1	-	2	-	-	4	2	1	21
27	मन्दसौर	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	6
28	मुरैना	6	2	1	2	-	-	2	1	-	-	-	-	14
29.	नरसिंहपुर	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
30.	नीमच	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	8
31.	पन्ना	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5
32.	रायसेन	6	2	1	2	-	-	2	-	-	2	-	-	15
33.	राजगढ़-ब्यावरा	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4
34.	रतलाम	3	1	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	9
35.	रीवा	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
36.	सागर	5	2	1	2	-	-	2	1	-	1	-	-	14
37.	सतना	3	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	7
38.	सिवनी	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	5
39	सीहोर	6	2	1	2	-	-	2	1	-	2	-	-	16
40.	शहडोल	3	1	1	1	-	-	1	-	-	3	1	1	12
41.	शाजापुर	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5
43	श्योपुर	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	6
44.	सीधी	3	2	1	2	-	-	1	-	-	2	1	-	12
45	सिंगरौली-बैढ़न	9	3	2	3	1	1	3	1	-	6	3	1	33
47	टीकमगढ़	4	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	9
	कुटुम्ब न्याया.	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3
48.	उमरिया	3	1	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	9
49.	विदिशा	3	2	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	9
कुलयोग		**147**	**52**	**23**	**42**	**3**	**1**	**50**	**5**	-	**59**	**15**	**4**	**401**

(iv) सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या

क्र.	पद का नाम	अनारक्षित
1	सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय)	14
	कुल योग	**14**

नोट :- (1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित हैं।

(2) अभ्यार्थी एक से अधिक पदों के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा अधिकतम तीन पदों के लिए आवेदन कर सकता है एवं वह प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी केन्द्र को परीक्षा हेतु चुन सकता है।

(3) जिला न्यायालयों के पदों से संबधित अभ्यर्थी, नियुक्ति हेतु, अपनी पसंद के अनुसार तीन जिलों को क्रमानुसार आवेदन में दर्शित कर सकते हैं। तृतीय जिले के रूप में वह "**अन्य कोई जिला**" दर्शित कर सकते हैं। "**अन्य कोई जिला**" दर्शित करने पर ही अभ्यर्थी को उसकी पात्रतानुसार अन्य जिले के लिए चयनित किया जावेगा अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी की पसंद के जिले में पद भर जाने पर अन्य जिले में चयन नहीं किया जावेगा भले ही अन्य जिले के चयनित अभ्यर्थी से इस अभ्यर्थी का अंक प्रतिशत अधिक हो।

(4) जिला न्यायालयों के पदों से संबधित अभ्यर्थी, की नियुक्ति होने पर पाँच वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

खण्ड "स"

(1) आयु की गणना :- दिनांक 01.01.2011 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण होना आवश्यक है, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1.	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	40 वर्ष
3.	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 + 45 वर्ष
4.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	35 + 5 + 10 + 50 वर्ष
5.	विधवा, परित्यकता, तलाकपुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 + 5 = 50 वर्ष
6.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग)	=	35 + 5 + 10 + 5 = 55 वर्ष
7.	रजिस्ट्रार, कल्याण आयुक्त, भोपाल गैस पीड़ित, भोपाल में कार्यरत है/था तो उस अवधि का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर।	=	कोई आयु सीमा नहीं है।

नोट :- विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

(3) परीक्षा की योजना :-

(अ) **प्रारंभिक परीक्षा** (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) - (100 अंक) - प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिनांक को व एक ही समय में निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी।

परीक्षा केन्द्र - 1. बालाघाट, 2. भोपाल, 3. छतरपुर, 4. छिन्दवाड़ा, 5. गुना, 6. ग्वालियर, 7. इंदौर, 8. जबलपुर, 9. खण्डवा, 10, मंदसौर, 11. रीवा, 12. सागर, 13. शहडोल, 14. उज्जैन।

प्रवेश पत्र - प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट एमपीऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंट आउट की सुविधा दिनांक 25.02.2011 से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम : सामान्य ज्ञान (40 अंक), सामान्य हिन्दी (10 अंक) व सामान्य अंग्रेजी (20 अंक) एवं कम्प्यूटर ज्ञान (30 अंक) का वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र होगा।

प्रक्रिया :-

(1) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तरों को चिन्हित करने हेतु पृथक से एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी जो कि OMR शीट के रूप में होगी, जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चुनाव कर ओ.एम.आर. शीट में **काली स्याही के बाल पेन से गोला बनाकर** अपना उत्तर अंकित करेंगे।

(2) प्रारंभिक परीक्षा में रिक्त ट्रांसलेटर, सहायक ग्रन्थपाल एवं सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन के पद हेतु लगभग 10 गुना अभ्यर्थी एंव अन्य रिक्त पदों के विरुद्ध लगभग चार गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु चयनित किये जावेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

(ब) मुख्य परीक्षा - 88 अंक

क्र.	पदनाम	विषय	अंक	समय
1	ट्रांसलेटर, (उच्च न्यायालय)	ट्रांसलेशन (हिन्दी-अंग्रेजी)	30	1:30 घण्टा
		ट्रांसलेशन (अंग्रेजी-हिन्दी)	30	
		शब्दार्थ, सूक्तियॉ, वाक्यांश, उद्धरणों का ज्ञान	20	
		कम्प्यूटर टायपिंग/ऑपरेशन का व्यवहारिक ज्ञान	08	10 मिनिट
2	सहायक ग्रन्थपाल (उच्च न्यायालय)	लायब्रेरी साइंस	60	1:00 घण्टा
		सामाजिक ज्ञान	10	
		कम्प्यूटर टायपिंग/ऑपरेशन का व्यवहारिक ज्ञान	18	10 मिनिट
3	सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) (उच्च न्यायालय)	1. मेन्टेनेंस ऑफ हार्डवेयर, 2. इंस्टालेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, 3. बेसिक ट्रबल शूटिंग, 4. नेटवर्किंग, 5. ऑपरेटिंग सिस्टम (प्रश्न पत्र)	60	1:00 घण्टा
		प्रायोगिक परीक्षा	28	30 मिनिट
4	सहायक ग्रेड-3, (उच्च न्यायालय)	हिन्दी टायपिंग	20	10 मिनिट
		अंग्रेजी टायपिंग	20	10 मिनिट
		सामान्य अंग्रेजी	20	20 मिनिट
		कम्प्यूटर टायपिंग+ज्ञान	28	10 मिनिट
5	शीघ्रलेखक ग्रेड-2 एवं शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	हिन्दी शीघ्रलेखन+टायपिंग	60	35 मिनिट
		अंग्रेजी टायपिंग	10	10 मिनिट
		कम्प्यूटर टायपिंग/ज्ञान	18	10 मिनिट
6	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	हिन्दी टायपिंग (मैटर)	50	15 मिनिट
		हिन्दी टायपिंग (डिक्टेशन)	08	05 मिनिट
		अंग्रेजी टायपिंग	10	10 मिनिट
		कम्प्यूटर टायपिंग/ज्ञान	10	10 मिनिट
		शीघ्रलेखन	10	15 मिनिट
7	सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय)	अंग्रेजी शीघ्रलेखन + टायपिंग	60	35 मिनिट
		हिन्दी टायपिंग	10	10 मिनिट
		कम्प्यूटर टायपिंग/ज्ञान	18	10 मिनिट

मुख्य परीक्षा का दिनांक एवं परीक्षा केन्द्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जावेंगे जिसे वे एमपीऑनलाइन अथवा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे एवं इसका उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

नोट :- (1) मुख्य परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) प्रवर्ग के पद हेतु हिन्दी व अंग्रेजी टायपिंग टाइप मेटर देखकर करना होगा।

(2) मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखक ग्रेड-2 (जिला न्यायालय) पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पाँच मिनिट में लगभग 500 शब्दों का डिक्टेशन हिन्दी में दिया जायेगा जिसके टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा।

(3) मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पाँच मिनिट में 400 शब्दों का डिक्टेशन हिन्दी में दिया जायेगा जिसके टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा।

(4) मुख्य परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) प्रवर्ग के पद हेतु टायपिंग, अंशतः टाइप मेटर देखकर एवं अंशतः सीधे डिक्टेशन पर करना होगा। (500+150 शब्द)

(5) मुख्य परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय) पद हेतु अर्हताधारी अभ्यर्थियों को पाँच मिनिट में 400 शब्दों का अंग्रेजी में डिक्टेशन दिया जायेगा जिसके टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 35 मिनिट का रहेगा।

(6) मुख्य परीक्षा में हिन्दी शीघ्रलेखन/टायपिंग परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम अर्हकारी अंकों की शर्त को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा।

(7) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताक्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

(स) साक्षात्कार (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु)- :- (12 अंक)।

(1) साक्षात्कार मुख्य परीक्षा दिनांक को ही मुख्य परीक्षा के उपरांत लिया जावेगा।

(2) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(3) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

(1) जिला न्यायालयों के पदों हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(2) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हों।

(3) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(4) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। लिखित परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को आवागमन व्यय एवं आहार भत्ता देय नहीं होगा।

(5) **मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखन/टायपिंग कौशल परीक्षण हेतु टायपिंग मशीन लाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा, जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा टायपिंग मशीन उपलब्ध नहीं करायी जावेगी।** लेकिन अंग्रेजी टायपिंग की अतिरिक्त योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को अंग्रेजी टायपराईटर लाने की आवश्यकता नहीं होगी एवं उसकी योग्यता का परीक्षण कम्प्यूटर पर किया जा सकेगा।

(6) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

(7) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(8) मुख्य परीक्षा हेतु चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन की पावती की प्रति के साथ अपनी शैक्षणिक अर्हता, तकनीकी अर्हता, निवास प्रमाण पत्र व जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित वर्ग के लिए) की स्वप्रमाणित एवं स्वच्छ फोटो स्टेट प्रतियाँ, स्वयं के दो फोटोग्राफ एवं स्वयं के पते व पाँच रुपये का डाक टिकिट युक्त एक लिफाफा भेजना आवश्यक होगा, जो प्रत्येक स्थिति में प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर के कार्यालय में मुख्य परीक्षा दिनांक के दस दिन पूर्व तक प्राप्त हो जाना चाहिये। उक्त दस्तावेज प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा से वर्जित किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों के निरीक्षण व सत्यापन की कार्यवाही मुख्य परीक्षा दिनांक को होगी।

(9) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(10) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/1 दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनाँक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी ।

(11) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(12) ट्रांसलेटर, सहायक ग्रंथपाल एवं सहायक ग्रेड-3 (हार्डवेयर टेक्निशियन) की मुख्य परीक्षा जबलपुर में एवं सहायक श्रेणी-3 (उच्च न्यायालय)/सहायक श्रेणी-3 (इंग्लिश नोइंग) की मुख्य परीक्षा जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में आयोजित की जावेगी। अन्य पदों हेतु मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा के केन्द्रों पर या अन्य जिलों में आयोजित की जावेगी। सभी पदों के संबंध में मुख्य परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को होगा एवं प्रारम्भिक परीक्षा केन्द्र पर ही मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जावेगा।

(13) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

(14) चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में कार्यरत किसी भी न्यायालय में एवं किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

(सुभाष काकड़े)

रजिस्ट्रार जनरल